न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

(पीठासीन अधिकारी :– कमल राम मीना, आर0 ए0 एस0)

अपील संख्या :– 161/2006 अन्तर्गत धारा 223 आर0 टी0 एक्ट

उनवान :– 1. जुबेर खां पुत्र रहमत खां जाति मेव निवासी नांगल मोजिया तहसील किशनगढबास जिला अलवर राजस्थान

:–– अपीलांट वादी

बनाम

1 मु0 मुमताज बेवाह अब्दुल हकीम
2 जियाददीन
3 हबीब
4 अजरूदीन पुत्रान अब्दुल हकीम
5 गुडडो
6 जमीला पुत्रियां अब्दुल हकीम जाति मेवान निवासीयान पंचसील इन्क्लेव पुरानी मस्जिद जिनाउल कुरान शमशान घाट के पास मौहल्ला चिराग, नई दिल्ली – 110017

:–– असल रेस्पो0 प्रतिवादीगण

7 मन्नी बेवाह आसीना
8 रज्जाक
9 ईदा
10 उमर पुत्रान आसीना
11 मौहम्मदा दत्तक पुत्र घीसा उर्फ घासी
12 सब्बीर
13 मजीद
14 सहीद पुत्रान ईस्माईल जाति मेवान निवासीयान ग्राम नांगल मोजिया तहसील किशनगढबास जिला अलवर

:---- तरतीबी रेस्पो0 प्रतिवादीगण

1/10/19

भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन

Scanned by CamScanner

अपील विरूद्ध निर्णय व डिक्री उपखंड अधिकारी,
किशनगढबास दिनांक 24.6.2006

उपस्थित :- 1. वकील अपीलांट :- श्री परमानंद मेहरा

2. वकील असल रेस्पो0 :- उपस्थित नहीं ।

निर्णय दिनांक 1.10.2019

---

1 प्रस्तुत अपील न्यायालय उपखंड अधिकारी, किशनगढबास द्वारा राजस्व वाद सं0 24/2005 में पारित निर्णय दिनांक एवं डिक्री दिनांक 24.6.2006 के खिलाफ है, जिसके द्वारा वादी का वाद अन्तर्गत धारा 88, 89 व 188 आर0 टी0 एक्ट खारिज किया गया है ।

2 प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने तहत न्यायालय में वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि रहमत खां पुत्र छोटे खां का आराजी खसरा नम्बर 3178, 3179, 3180 वाके ग्राम खैरथल तह0 किशनगढबास में 1/2 हिस्सा, खसरा नम्बर 246, 401 वाके ग्राम नांगल मोजिया समस्त और खसरा नम्बर 391 वाके ग्राम नांगल मोजिया तहसील किशनगढबास में 1/2 भाग खातेदारी में था । उक्त रहमत खां के 2 पुत्र वादी और मृतक अब्दुल हकीम रहे हैं । मृतक अब्दुल हकीम के वारिसान प्रतिवादीगण संख्या 1 लि0 6 हैं । अब्दुल हकीम प्रारम्भ से ही दिल्ली में रहता था और उसने पिता रहमत खां के जीवनकाल में ही अपना हिस्सा बतौर नकद प्राप्त कर लिया था और माता पिता से अलग हो गया था और उसने गांव के मौजीज लोगों के बीच माता पिता की सम्पत्ति में कोई हिस्सा नहीं लेना स्वीकार कर लिया था । इस बाबत उसने एक प्रतिज्ञा पत्र दिनांक 5.6.80 को निष्पादित भी करा दिया था । इस प्रकार मृतक रहमत खां की समस्त विरासत वादी को प्राप्त हो गई । परन्तु रहमत खां के देहान्त के बाद उक्त अब्दुल हकीम ने ग्राम नांगल मोजिया की आराजी बाबत विरासत इन्तकाल नम्बर 409 अपने हम में दर्ज करा लिया । जबकि वह रहमत खां की समस्त विरासत तर्क कर चुका था । अतः निवेदन है कि वाद पत्र डिक्री किया जावे । तहत न्यायालय ने

1/10/19

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

Scanned by CamScanner

अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 24.6.2006 द्वारा खारिज किया है,जिसकी वादी ने यह अपील प्रस्तुत की है ।

3 विद्वान वकील अपीलांट ने अपनी बहस में अपने वाद पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये अभिकथन किया है कि तहत न्यायालय के समक्ष मैंने वैकल्पिक रूप से कहा था कि प्रतिज्ञा पत्र दिनांक 5.6.80 को अगर वाद में पढा नहीं जाता है तो भी एडवर्स पजेशन के आधार पर मैं खातेदारी पाने का अधिकारी हूं, क्यों कि मैं विवादित आराजी पर 12 साल से भी अधिक से काबिज चला आ रहा हूं । विद्वान तहत न्यायालय ने मेरा वाद विवादित आराजी को पैत्रिक मानते हुये खारिज किया है, इस सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कि जब अब्दुल हकीम ने प्रतिज्ञा पत्र द्वारा अपना हक त्याग कर दिया था और उसकी ऐवज में नकद राशि प्राप्त कर ली थी तो ऐसी स्थिति में विवादित आराजी की बाबत पैत्रिक होने बाबत कोई विवेचना करने का सवाल ही पैदा नहीं होता है । प्रतिवादीगण को तलब किया गया था, परन्तु वे उपस्थित नहीं हुये । इसका तात्पर्य यही है कि वे प्रतिज्ञा पत्र से सहमत थे । परन्तु इन समस्त तथ्यों पर विद्वान तहत न्यायालय ने गौर नहीं किया और गलत तौर पर मेरा वाद पत्र खारिज कर दिया । अतः निवेदन है कि अपील स्वीकार की जावे ।

4 रेस्पो0 अथवा उनके अभिभाषक उपस्थित नहीं ।

5 हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा विद्वान वकील अपीलांट की बहस तर्कों पर गौर किया । विद्वान वकील अपीलांट का मुख्य तर्क यही है कि अब्दुल हकीम द्वारा निष्पादित प्रतिज्ञा पत्र एवं एडवर्स पजेशन के आधार पर उसको रहमत खां की विवादित भूमि खातेदारी अधिकार हासिल हो चुके हैं । इस सम्बन्ध में हमने पत्रावली का अवलोकन किया । वादी अपीलांट ने तहत न्यायालय में जो प्रतिज्ञा पत्र प्रदर्श – 1 प्रस्तुत किया है, वह किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा ना तो प्रमाणित है और ना ही पंजीकृत है । इस प्रकार के दस्तावेज ना तो साक्ष्य में ग्रहण किये जा सकते हैं और ना ही इनके आधार पर कोई राईट तय किये जा सकते हैं । विवादित भूमि पैत्रिक भूमि है जो कि वारिसान के मध्य बराबर बराबर हिस्से में हस्तांतरित होगी । जहां तक वादी

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

Scanned by CamScanner

अपीलांट के इस कथन का सवाल है कि एडवर्स पजेशन के आधार पर उसको खातेदारी हकूक प्राप्त हो चुके हैं तो इस सम्बन्ध में हमारा विनम्र मत है कि विवादित भूमि पैत्रिक भूमि है और पैत्रिक भूमि पर एडवर्स पजेशन लागू नहीं होता है । इसके अतिरिक्त माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपने न्यायिक दृष्टांत ए0 आई0 आर0 2012 एस0 सी0 पेज 559 में अभिनिर्धारित किया है कि illegal acquisition of land by state authorities by way of adverse possession ------- Such bad faith adverse possession should be abolished ------ Urgent suitable changes in law of adverse possession recommended.

6 उपरोक्त सभी तथ्यों के विवेचन की रोशनी में हम अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री में किसी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि होना नहीं पाते हैं । लिहाजा अपील अपीलांट खारिज किये जाने योग्य है ।

7 अतः आदेश है कि अपील अपीलांट खारिज की जाकर विद्वान तहत न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 24.6.2006 यथावत रखे जाते हैं ।

8 निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया । पर्चा डिक्री जारी हो ।

(कमल राम मीना)

भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन

राजस्व अपील अधिकारी,अलवर

Scanned by CamScanner

न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

(पीठासीन अधिकारी :– कमल राम मीना, आर0 ए0 एस0)

अपील संख्या :– 161/2006 अन्तर्गत धारा 223 आर0 टी0 एक्ट

उनवान :– 1. जुबेर खां पुत्र रहमत खां जाति मेव निवासी नांगल मोजिया तहसील किशनगढबास जिला अलवर राजस्थान

:–– अपीलांट वादी

बनाम

1 मु0 मुमताज बेवाह अब्दुल हकीम जाति मेव निवासीयान पंचसील इन्क्लेव पुरानी मस्जिद जिनाउल कुरान शमशान घाट के पास मौहल्ला चिराग, नई दिल्ली – 110017 वगैरा

:–– असल रेस्पो0 प्रतिवादीगण

अपील विरूद्ध निर्णय व डिक्री उपखंड अधिकारी, किशनगढबास दिनांक 24.6.2006

उपस्थित :– 1. वकील अपीलांट :– श्री परमानंद मेहरा

2. वकील असल रेस्पो0 :– उपस्थित नहीं ।

पर्चा डिक्री दिनांक 1.10.19

अपील अपीलांट खारिज की जाकर विद्वान तहत न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 24.6.2006 यथावत रखे जाते हैं ।

1/10/19

(कमल राम मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

Scanned by CamScanner